



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062026-273283
CG-DL-E-10062026-273283

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2862]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2026/ज्येष्ठ 19, 1948

No. 2862]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2026/JYAISTHA 19, 1948

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 जून, 2026

का.आ. 2956(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की कपास गांठों से संबंधित अधिसूचना संख्या का.आ. 948 (अ) दिनांक 28 फरवरी, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 1 मार्च, 2023 को प्रकाशित हुई थी, उन बातों के संबंध में जो ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई हैं या करने से चूक गई हैं, को छोड़कर तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

[फा. स. 1/5/2018-फाइबर I]

मनीषा चटर्जी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का. आ. 948 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् संख्यांक का. आ. 3557 (अ), तारीख 7 अगस्त, 2023, संख्यांक का. आ. 3830 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2023, संख्यांक का. आ. 3469 (अ), तारीख 13 अगस्त, 2024 तथा संख्यांक का. आ. 2996 (अ), तारीख 3 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF TEXTILES**ORDER**

New Delhi, the 9th June, 2026

S.O. 2956(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Textiles No. S.O. 948(E) dated 28th February, 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1st March, 2023, relating to Cotton Bales with immediate effect, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 1/5/2018-Fibre I]

MANISHA CHATTERJEE, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 948 (E), dated the 28th February, 2023 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 3557 (E), dated 7th August, 2023, notification number S.O. 3830(E) dated 28th August, 2023, notification number S.O. 3469(E) dated 13.08.2024 and notification number S.O. 2996(E) dated 03.07.2025.